न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 007 / 2025
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अमनदीप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला 16 जी तहसील व जिला श्री गंगानगर।

.... वादी

ब ना म

1. गुरदीप सिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला 16 जी तहसील व जिला श्री गंगानगर
2. समनदीप कौर पुत्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला 16 जी तहसील व जिला श्री गंगानगर
3. राजस्थान सरकार वजरिए तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर।

...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री नरेश जाखड़ (वादी)
श्री संजय जनवेजा (प्रतिवादी 01 ता 02)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 03)

दिनांक 21 फरवरी, 2025

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार श्री गंगानगर तहसील के चक 36 जीजी द्वितीय की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 जमाबंदी 2076 के खाता संख्या 24 / 23 के मुरबा नं. 31 की कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला भूमि प्रतिवादी सं. 01 गुरदीपसिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 01 मुझ वादी के पिता है तथा प्रतिवादी सं. 02 मुझ वादी की बहिन है, उक्त वादाधीन भूमि जो प्रतिवादी सं. 01 गुरदीपसिह के नाम है संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है जो प्रतिवादी सं. 01 को अपने पिता स्वर्णसिह से जरिए विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिए उक्त वादाधीन भूमि में मुझ वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है जिसे मैं वादी प्राप्त करने का अधिकारी हूॅ ओर इसी की घोषणा करवाना चाहता हूँ इसलिए प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन मुझ वादी के पक्ष में बनना पाया जाता है। पूर्व में हुए घरेलु बंटवारानामा अनुसार मुझ वादी को निम्न लिखित भूमि प्राप्त हुई :–
वादी अमनदीप सिंह को प्राप्त भूमिः– श्री गंगानगर तहसील के चक 36 जीजी द्वितीय की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 जमाबंदी 2076 के खाता संख्या 24 / 23 के मुरबा नं. 31 की कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला भूमि जो प्रतिवादी सं. 01 गुरदीपसिह के नाम दर्ज है, में से मुरबा नं. 31 के किला नं. 1 / 1 की 0.228 है0, किला नं. 1 / 2 की 0.025 है0, किला नं. 2 ता 8 प्रत्येक सालम कुल 2.024 है0 भूमि घरेलु बंटवारानामा अनुसार प्राप्त हुई। नहरी भुमि घरेलु बंटवारानामा अनुसार प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी सं. 02 की शादी कर दी है, और शादी के समय कृषि भूमि के बदले दान–दहेज दे दिया है इसलिए प्रतिवादी सं. 02 उक्त वादाधीन भूमि में से अपना हिस्सा प्राप्त करनी नही चाहती। आज से कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी को घरेलु बंटवारानामा अनुसार भूमि अपने नाम करवाने को कहा तो मना कर गए जो कि यहीं वाद–कारण है। उक्त भूमि श्री गंगानगर तहसील के चक 36 जीजी द्वितीय में पडती है जो कि श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है वाद–पत्र निर्धारित फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद–पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद–पत्र प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। (क) श्री गंगानगर तहसील के चक 36 जीजी द्वितीय की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 जमाबंदी 2076 के खाता संख्या 24 / 23 के मुरबा नं. 31 की कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला भूमि जो प्रतिवादी सं. 01 गुरदीपसिह के नाम दर्ज है, में से मुरबा नं. 31 के किला नं. 1 / 1 की 0. 228 है0, किला नं. 1 / 2 की 0.025 है०, किला नं. 2 ता 8 प्रत्येक सालम भुमि कुल 2.024 है० भूमि का घरेलु

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:13:30 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारानामा अनुसार वादी अमनदीप सिंह को खातेदार मालिक घोषित किया जावे व रकबा अलग से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। (ख) यह है कि अन्य कोई अनुतोष मुझ वादी के पक्ष में बनना पाया जाता है तो दिलाया जावे। (ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

दिंनाक 10.02.2025 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा एवं अपने अपने पहचान पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई। वादीगण की शिनाख्त वादी अधिवक्ता श्री संदीप कड़वासरा एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा की गई। वादी ने प्रतिवादीगण के साथ लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है, राजीनामा श्रीगंगानगर तहसील के चक 36 जीजी द्वितीय की जमावन्दी सम्वत् 2070–2073 जमाबन्दी 2076 के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 31 की कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला भूमि जो प्रतिवादी संख्या 01 गुरदीप सिंह के नाम दर्ज है, में से मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1/1 की 0.228 है0, किला नम्बर 1/2 की 0.025 है0, किला नम्बर 2 ता 8 प्रत्येक सालम भूमि कुल 2.024 है0 भूमि का घरेलू वंटवारानामा अनुसार वादी अमनदीप सिंह को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है तो हमें कोई उजर ऐतराज नही है इसमें हम सभी सहमत हैं। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा अनुसार वाद–पत्र डिक्री फरमाया जावे। जनाव की अति कृपा होगी।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 10.02.2025 एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों को अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमावंदी संवंत 2070 से 2073 चक 36 जीजी द्वितीय, पटवार हल्का जोधेवाला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चुनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:आदेशः–

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी अमनदीप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह को चक 36 जीजी द्वितीय, पटवार हल्का जोधेवाला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चुनावढ़ के खाता संख्या 24/23 के मुरब्बा नम्बर 31 की कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला भूमि जो प्रतिवादी संख्या 01 गुरदीप सिंह के नाम दर्ज है, में से मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1/1 की 0.228 है0, किला नम्बर 1/2 की 0.025 है0, किला नम्बर 2 ता 8 प्रत्येक सालम भूमि कुल 2.024 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

अतः तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर [illegible]र एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.02.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 007 / 2025
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अमनदीप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला 16 जी तहसील व जिला श्री गंगानगर।

ब ना म .... वादी

1. गुरदीप सिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला 16 जी तहसील व जिला श्री गंगानगर
2. समनदीप कौर पुत्री गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला 16 जी तहसील व जिला श्री गंगानगर
3. राजस्थान सरकार वजरिए तहसीलदार राजस्व श्री गंगानगर। ...प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री नरेश जाखड़ (वादी)
श्री संजय जनवेजा (प्रतिवादी 01 ता 02)
राज पैरोकार (प्रतिवादी 03)

दिनांकः 21 फरवरी, 2025

वादपत्र संख्या 007 / 2025
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री नरेश जाखड व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 03 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादी अमनदीप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह को चक 36 जीजी द्वितीय, पटवार हल्का जोधेवाला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चुनावढ़ के खाता संख्या 24 / 23 के मुरब्बा नम्बर 31 की कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला भूमि जो प्रतिवादी संख्या 01 गुरदीप सिंह के नाम दर्ज है, में से मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 / 1 की 0.228 है0, किला नम्बर 1 / 2 की 0.025 है0, किला नम्बर 2 ता 8 प्रत्येक सालम भूमि कुल 2.024 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 फरवरी, 2025 को जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालिक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	कुल	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:11:30 IST
Reason: SelfAttested